दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स बिहार

जनवरी (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

बिहार **3**

- मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 3
- पटना में मिला दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट ओमीक्रोन बीए.2 3
- अब बिहार में भी होगी सेब की खेती: कृषि विभाग का पायलट प्रोजेक्ट 7 ज़िलों में शुरू 4
- स्मार्ट प्री-पेड मीटर के लिये बनेगा कानून 4
- राज्यपाल ने बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश को मंज़ूरी दी 5
- पटना-कोलकाता एक्सप्रेसवे 5
- बिहार में रामजानकी मार्ग को चार लेन में बनाने की मंज़ूरी 6
- बिहार के 3 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 6
- बिहार के 2 व्यक्तियो को पद्म पुरस्कार 7
- सीएम राहत कोष से कोरोना मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए 8
- वाहन स्क्रैपिंग के लिये कर छूट का निर्णय 8

नोट :

बिहार

मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 5 जनवरी, 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल कई महत्त्वपूर्ण एजेंडों पर निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय द्वारा बताया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को 4 लाख रुपए प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान राज्य संसाधन से करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्तमान उपबंध के अतिरिक्त 105 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
- आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को पचास हज़ार रुपए प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्तमान उपबंध के अतिरिक्त 20 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
- वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
- नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के आलोक में 1 नए नगर निकाय (मुंगेर में असरगंज) का गठन एवं 3 नगर निकायों (मुज़फ्फरपुर नगर निगम का विस्तार, दरभंगा से बिरौल तथा घनश्यामपुर नगर पंचायत) का क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई।
- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्व. कविराज राम लखन सिंह 'बैद्य', शहीद नाथून प्रसाद यादव, स्व. शीलभद्र याजी, स्व. मोगल सिंह एवं स्व. डुमर प्रसार सिंह के सम्मान में नगर परिषद क्षेत्र बख्तियारपुर के अंतर्गत स्थापित प्रतिमा स्थल पर प्रत्येक वर्ष की 17 जनवरी को राजकीय समारोह का आयोजन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

पटना में मिला दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट ओमीक्रोन बीए.2

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में दक्षिण अफ्रीकी ओमीक्रोन वेरिएंट का जेनेटिक पैटर्न बीए.2 मिला है। यह वेरिएंट संक्रामक है और तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है।

प्रमुख बिंदु

- दक्षिण अफ्रीका में इसके प्रसार के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों ने इसे डेल्टा वेरिएंट से सात गुना ज्यादा संक्रामक बताया है। हालाँकि विशेषज्ञों के मुताबिक डेल्टा के मुकाबले यह कम घातक है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार ओमिक्रोन वैरिएंट (पैंगो वंश के मूल बी.1.1.529) में तीन वैरिएंट (बीए.1, बीए.2 और बीए.3) हैं। बीए.2 म्यूटेंट को 'ओमिक्रोन लाइक' भी कहा जाता है और इसे पहचानना ज्यादा कठिन है।
- बीए.1 और बीए.3 में स्पाइक प्रोटीन में 69-70 विलोपन है, जबकि बीए.2 में ऐसा नहीं है। इस विलोपन के चलते ये सब-वैरिएंट मौजूदा वैक्सीन को चकमा देने में सफल होते हैं और उनका तेजी से प्रसार होता है।

नोट :

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीओबी) के भारतीय सार्स-सीओवी-2 जीनोमिक्स कंस्टोरियम (इंसाकाग) के विज्ञानियों ने बताया कि इन तीनों सब-वैरिएंट में से भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग में बीए.1 और बीए.2 की मौजूदगी ज्यादा मिल रही है। इसमें भी खासकर बीए.1 तेजी से डेल्टा का स्थान ले रहा है और महाराष्ट्र एवं कई अन्य राज्यों में ज्यादातर मामले इसी के मिल रहे हैं। बीए.3 अभी भारत में नहीं मिला है।
- गौरतलब है कि बिहार और भारत में घनी आबादी के कारण इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। जिस तेजी से यह संक्रमण फैल रहा है वह एक दिन में संक्रमितों की संख्या मिलने का पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ सकता है।
- वहीं, भारत में अभी इसका प्रसार हाल ही में होने से अब तक घातक स्वरूप सामने नहीं आया है। अब तक मिले संक्रमितों में इसका हल्का लक्षण ही देखने को मिल रहा है। यह संक्रमण फेफड़े की बजाय ज्यादातर मामले में साँस नली से सीधे पेट में जाते दिख रहा है। इसलिये इस बार साँस के गंभीर पीड़ित बहुत कम दिख रहे हैं।
- इससे बचाव के लिये कोरोना मानकों को अपने व्यवहार में शामिल करना ही एकमात्र उपाय है।

अब बिहार में भी होगी सेब की खेती: कृषि विभाग का पायलट प्रोजेक्ट 7 ज़िलों में शुरू

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राज्य में सेब की खेती की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने इस साल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 ज़िलों में सेब की खेती की योजना शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- विशेष उद्यानिक फसल योजना के तहत 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेब की खेती कराने का लक्ष्य रखा गया है। वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर में 2-2 हेक्टेयर, जबकि मुज़फ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार और समस्तीपुर में एक-एक हेक्टेयर में सेब की खेती के लिये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सहायक निदेशक उद्यान प्रशांत झा ने बताया कि सेब की खेती के लिये चयनित किसानों को वैशाली के देसरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
- चयनित किसानों को हिमाचल प्रदेश से हरिमन 99 वेराइटी का पौधा दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण सहित एक पौधे की लागत लगभग 200 रुपए होगी। हिमाचल प्रदेश से ही किसानों को प्रशिक्षण देने के लिये विशेषज्ञ भी आएंगे।

स्मार्ट प्री-पेड मीटर के लिये बनेगा कानून

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट प्री-पेड मीटर के लिये तथा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिये नया कानून बनाने का जिम्मा लिया है।

प्रमुख बिंदु

- बिजली कंपनी की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को कहा गया है कि बिहार में स्मार्ट मीटर नियमन (रेगुलेशन) बनाए जाने के लिये आयोग को ही रेगुलेशन का ड्राफ्ट जारी करना है। ड्राफ्ट जारी होने के बाद आम लोगों से उस पर राय ली जाएगी। कंपनी भी अपनी ओर से उस पर अपना पक्ष रखेगा।
- स्मार्ट प्री-पेड मीटर को लेकर कंपनी ने आयोग के समक्ष कुछ और प्रस्ताव भी सौंपे हैं। मोबाइल पर तीन संदेश के बावजूद उपभोक्ता अगर मीटर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो डिस्कनेक्शन, यानी बिजली गुल हो जाएगी। कंपनी ने आयोग से अनुरोध किया है कि वह एक समय तय कर दे कि कितने दिनों के बाद उपभोक्ताओं का कनेक्शन अस्थायी तौर पर काटा जाएगा। इसके बाद अगर उपभोक्ता दोबारा कनेक्शन लें तो उनसे क्या शुल्क लिया जाए?

नोट :

- उल्लेखनीय है कि साल 2025 तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को नि:शुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिये राज्य सरकार ने अपनी योजना शुरू की है। इस मद में 11 हज़ार 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिजली कंपनी की यह अबतक की सबसे बड़ी योजना है।
- देश में बिहार इकलौता राज्य है, जिसने प्री-पेड मीटर लगाना शुरू किया है। अब तक तीन लाख से अधिक मीटर लग चुके हैं और देश के अन्य राज्य बिहार का अनुकरण कर रहे हैं।

राज्यपाल ने बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

- 13 जनवरी, 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को मंज़ूरी दे दी अध्यादेश अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर-उपमहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की गई है।

प्रमुख बिंदु

- बिहार सरकार ने नगरपालिका अध्यादेश में संशोधन करते हुए प्रावधान किया है कि बिहार के प्रत्येक शहर की सरकार के प्रमुख एवं उप प्रमुख वहाँ के नगर निकाय की सीमा में रहने वाले मतदाताओं के वोट से निर्वाचित होंगे।
- बिहार के सभी 19 नगर निगमों के महापौर-उपमहापौर तथा 89 परिषदों और 155 नगर पंचायतों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये इस प्रणाली को लागू किया गया है।
- बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2022 की गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर निकायों में महापौर-उपमहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के निर्वाचन की पुरानी प्रणाली समाप्त हो गई है।
- उल्लेखनीय है कि अब तक नगर निकायों में महापौर-उपमहापौर वार्ड पार्षदों के बीच से ही चुने जाते थे। वार्ड पार्षदों के बहुमत से ही उन्हें हटाए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब इन पदों पर बैठे व्यक्ति की मृत्यु, पदत्याग या बर्खास्तगी की स्थिति में बची हुई अवधि के लिये जनता के बीच से निर्वाचित व्यक्ति ही इन पदों को ग्रहण करेंगे।
- वार्ड पार्षद महापौर-उपमहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें बहुमत के आधार पर पद से हटा भी नहीं सकेंगे।
- राज्य सरकार विधानसभा के अगले सत्र में बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक के रूप में पेश करेगी, जो पारित होने के बाद बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जाएगा।
- नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिये बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 23 और धारा 25 में संशोधन किया गया है। दोनों धाराओं में महापौर-उपमहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष को मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पदनाम से सूचित किया गया है।
- धारा 23 की तीन उपधाराओं के माध्यम से मुख्य पार्षद और उपमुख्य पार्षद के आम निर्वाचन तथा वैकल्पिक परिस्थितियों में निर्वाचन की व्यवस्था दी गई है। इसी तरह धारा 25 की तीन उपधाराओं में संशोधन के माध्यम से दोनों पदों से बर्खास्तगी या पदत्याग की व्यवस्था दी गई है।
- ज्ञातव्य है कि बिहार में सभी 263 नगर निकायों के चुनाव अप्रैल से जून के बीच प्रस्तावित हैं।
- शहरी निकाय के जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाने से जनता के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी एवं शहरों के विकास हेतु चलाई जा रही महत्त्वाकांक्षी योजना और परियोजनाओं में गति आएगी।

पटना-कोलकाता एक्सप्रेसवे

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि बिहार और बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिये पटना-कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना शुरू की जा रही है। पटना से कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार की पहली सड़क होगी, जो एज रिस्ट्रिक्टेड (Edge Restricted) होगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पटना-कोलकाता एक्सप्रेसवे के बन जाने से बिहार से बंगाल जाने के लिये कुल 550 किलोमीटर की यात्रा आसान हो जाएगी। ये सड़क उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी ही होगी। सरकार बहुत जल्द इसके लिये काम शुरू करने वाली है।
- इसके बनने से पूर्वोत्तर भारत की शेष भारत से कनेक्टिविटी मज़बूत होगी। 18 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में बिहार के पाँच ज़िले शामिल हैं।
- पटना-कोलकाता एक्सप्रेसवे पटना (बख्तियारपुर), नालंदा (बिहारशरीफ), शेखपुरा, जमुई (सिकंदरा और चकाई), बांका के कटोरिया होते हुए मधुपुर, दुर्गापुर और पानागढ़ से ढालकुनी से आगे बढ़ेगा। बिहारशरीफ, सिकदरा, चकाई से सीधे झारखंड में देवघर ज़िले के देवीपुर में प्रवेश करेगा।
- देवीपुर में ये एक्सप्रेसवे एम्स को जोड़ने वाली प्रस्तावित फोरलेन सड़क को कनेक्ट करते हुए मधुपुर की ओर निकल जाएगा। इससे देवघर की बिहार और बंगाल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
- भारतमाला परियोजना फेज-2 के तहत ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पुराने भीड़भाड़ वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-2 के विकल्प के रूप में काम करेगा। इसके बन जाने से विकास के द्वार भी खुलेंगे।

बिहार में रामजानकी मार्ग को चार लेन में बनाने की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- 21 जनवरी, 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को पत्र लिखकर जानकारी दी कि बिहार में रामजानकी मार्ग को चार लेन में बनाने की मंज़ूरी दे दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- पत्र में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि रामजानकी मार्ग धार्मिक महत्त्व एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस राजमार्ग को राज्य में चार लेन किया जाएगा।
- बिहार के पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि राज्य में करीब 240 किमी. की लंबाई में बन रहे रामजानकी मार्ग में से सिर्फ 90 किमी. ही फोरलेन मानक के अनुरूप है। शेष 150 किमी. दो-लेन सड़क के रूप में प्रस्तावित है। केंद्र सरकार से 150 किमी. लंबाई को भी फोरलेन किये जाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर केंद्र ने अनुमति दे दी है। अब पूरा 240 किमी. लंबा रामजानकी मार्ग चार लेन का होगा।
- राज्य में रामजानकी मार्ग उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित मेहरौना से शुरू होकर सीतामढ़ी ज़िले में नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भिटॉ मोड़ तक जाता है। इसकी लंबाई लगभग 240 किमी. है।
- पीएम पैकेज बिहार-2015 के अंतर्गत इस पथ के 200 किमी. भाग को फोरलेन सड़क में विकसित करने का काम एनएचआई द्वारा किया जा रहा है।
- इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि बिहार के वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय ज़िलों में एनएच-122बी के हाज़ीपुर-महनार-बछवाड़ा खंड के पूर्व-निर्माण और महनार से बछवारा खंड के दो-लेन में सुधार के लिये 624.43 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्वीकृति दी गई है।

बिहार के 3 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 24 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह में देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 एवं 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें 3 बच्चे बिहार के हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष के इन पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियाँ शामिल हैं। ये बच्चे देश के सभी क्षेत्रों से नवाचार (7), सामाजिक सेवा (4), शैक्षिक (1), खेल (8), कला और संस्कृति (6) तथा वीरता (3) श्रेणियों में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिये चुने गए हैं।
- इसी प्रकार वर्ष 2021 के पुरस्कार विजेताओं में 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 32 बच्चे नवाचार (9), कला एवं संस्कृति (7), खेल (7), शैक्षिक (5), वीरता (3) तथा सामाजिक सेवा (1) श्रेणियों में चुने गए हैं।
- पीएमआरबीपी पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण-पत्र दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार- 2022 से बिहार के धीरज कुमार (वीरता) एवं पल साक्षी (सामाजिक सेवा) को सम्मानित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार- 2021 से दरभंगा की ज्योति कुमारी (वीरता) को सम्मानित किया गया।
- पीएमआरबीपी 2021 और 2022 के पुरस्कार विजेता अपने माता-पिता तथा अपने-अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के साथ संबंधित जिला मुख्यालय से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
- प्रधानमंत्री ने समारोह के दौरान राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीक का उपयोग करके पीएमआरबीपी 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

बिहार के 2 व्यक्तियो को पद्म पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 25 जनवरी, 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 के लिये 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। बिहार के शैबल गुप्ता और आचार्य चंदनाजी पद्मश्री के लिये चुने गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- बिहार के आचार्य चंदनाजी को सामाजिक कार्यों के लिये, जबकि शैबल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा में विशिष्ट योगदान के लिये पद्मश्री पुरस्कार हेतु चुना गया है।
- पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इन तीन श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री शामिल हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्मविभूषण', उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्मभूषण'और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्मश्री'पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/क्षेत्रों, अर्थात् कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य व शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, इत्यादि में प्रदान किये जाते हैं।
- इन पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा हर वर्ष 'गणतंत्र दिवस'के अवसर पर की जाती है तथा आमतौर पर मार्च/अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किये जाने वाले औपचारिक समारोहों में प्रदान किये जाते हैं।
- इस वर्ष राष्ट्रपति ने 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंज़ूरी दी है, जिनमें 2 जोड़ी पुरस्कार (किसी जोड़ी को दिये पुरस्कार की गणना एक पुरस्कार के रूप में की जाती है) भी शामिल हैं। इस सूची में 4 पद्मविभूषण, 17 पद्मभूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं।
- पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएँ हैं और इस सूची में 10 व्यक्ति विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई श्रेणी के अंतर्गत हैं तथा 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है।

नोट :

सीएम राहत कोष से कोरोना मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए

चर्चा में क्यों ?

- 28 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सीएम राहत कोष न्यासी परिषद की 21वीं बैठक में बताया गया कि कोरोना से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार-चार लाख रुपए की राशि की मदद दी जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत अब तक 3704 मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपए की दर से कुल 148 करोड़ 16 लाख रुपए कोष से जारी किये जा चुके हैं।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) की स्थापना वर्ष 1971 में संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिये की गई थी। इस फंड को एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता दी गई है और इसकी आय का आयकर अधिनियम, 1961 के तहत धारा 12ए तथा 139 के तहत रिटर्न उद्देश्यों के लिये छूट प्राप्त है।
- मुख्यमंत्री सीएमआरएफ के अध्यक्ष हैं और उन्हें मानद आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- बैठक में बताया गया कि 10 बाढ़ प्रभावित ज़िलों में 100 बाढ़ आश्रय स्थल के निर्माण के लिये अब तक 59 करोड़ रुपए दिये गए, जिनमें से 40 बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माणकार्य पूर्ण हो चुका है और शेष का निर्माण प्रगति पर है।
- वर्तमान में कालाजार रोग से पूर्ण मुक्ति के लिये 'मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना' के तहत प्रत्येक कालाजार रोगी को 6600 रुपए की मदद दी जा रही है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी।
- इसी तरह बाल श्रम उन्मूलन के लिये मुक्त कराए गए प्रत्येक बाल श्रमिक को आवासन हेतु 25 हज़ार रुपए की मदद दी जा रही है।

वाहन स्क्रैपिंग के लिये कर छूट का निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 28 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित कर उनकी जगह नए वाहन की खरीद पर राज्य सरकार द्वारा मोटरवाहन टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- इस निर्णय के तहत निजी वाहनों की खरीद पर 25 प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत टैक्स में छूट मिलेगी।
- गौरतलब है कि एक लाख रुपए तक के वाहन पर आठ, एक से आठ लाख रुपए तक के वाहनों पर नौ, आठ से 15 लाख रुपए तक के वाहनों पर 10 तथा 15 लाख रुपए से ऊपर के वाहनों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगता है। ऐसे में इस निर्णय से एक ओर राज्य में प्रदूषण कम होगा व नई गाड़ियों की खरीद से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में स्क्रैप (कबाड़) के लिये उद्योग विकसित होंगे।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई थी, जिसके तहत-
  - पुराने वाहनों को पुन: पंजीकरण से पहले एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा और नीति के अनुसार सरकारी वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने तथा निजी वाहन, जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।
  - राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे पुराने वाहनों के मालिकों को पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये निजी वाहनों हेतु 25% तक तथा वाणिज्यिक वाहनों के लिये 15% तक की रोड-टैक्स छूट प्रदान करें।
  - वाहन निर्माता उन लोगों को भी 5% की छूट देंगे, जो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट का उपयोग करेंगे। साथ ही, नए वाहन की खरीद पर पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया जाएगा।

नोट :